



राजस्थान सरकार

# ‘पंच गौरव’ कार्यक्रम



## दिशा-निर्देश

वर्ष 2024-25

संशोधित 03 मई, 2025

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार

## विषय–सूची

1. प्रस्तावना	1
2. कार्यक्रम के उद्देश्य	1-2
3. कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु शासकीय संरचना	2-4
अ. नोडल विभाग	2-3
ब. समन्वय	3-4
4. कार्यक्रम की प्रभावशीलता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए मानदंड	4-5
5. अनुमति कार्य	5-7
6. गैर-अनुमति कार्य	7
7. बजट (Resource Envelope)	7-8
8. जिलेवार चिह्नित पंच गौरव की सूची	8-9

## ‘पंच—गौरव’ कार्यक्रम

---

### **1. प्रस्तावना**

राजस्थान राज्य के जिलों में विभिन्न प्रकार की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं। इस कारण यहां अलग—अलग तरह की उपज पैदा होती है एवं विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार राज्य के विभिन्न जिलों में अलग—अलग प्रकार के हस्तशिल्प एवं औद्योगिक उत्पाद प्रमुखता से बनाए जाते हैं। इसके साथ ही राज्य में महत्वपूर्ण खनिजों का खनन एवं प्रसंस्करण कार्य भी कई जिलों में किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से भी राज्य के प्रत्येक जिले में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं वन्यजीव पर्यटन आदि प्रमुख स्थल मौजूद हैं। राज्य में विभिन्न खेल गतिविधियां भी जिलों की प्रमुख पहचान रही हैं।

राज्य के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक जिले की क्षमता एवं क्षेत्र विशेष में विशिष्टता के आधार पर उत्पादों/स्थलों का चयन कर उसके संरक्षण, संवर्धन एवं विकास के माध्यम से जिले को एक मजबूत सांस्कृतिक एवं आर्थिक पहचान दी जा सकती है।

प्रत्येक जिले में विरासत एवं पर्यावरण के संरक्षण के साथ ही इन गतिविधियों के माध्यम से आर्थिक उन्नति एवं रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी कर प्रदेश के सभी जिलों के सर्वांगीण विकास हेतु राज्य में “पंच—गौरव” कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है।

कार्यक्रम अन्तर्गत राज्य के प्रत्येक जिले में उसकी विरासत एवं पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए “पंच गौरव” के रूप में प्रत्येक जिले में एक जिला—एक उत्पाद, एक जिला—एक उपज, एक जिला—एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला—एक खेल एवं एक जिला—एक पर्यटन स्थल चिह्नित किए जाएंगे।

जिला स्तर पर चयनित पंच गौरव के संवर्धन एवं विकास हेतु एक विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

### **2. कार्यक्रम के उद्देश्य**

- जिले की आर्थिक, पारिस्थितिकी एवं ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण और संवर्धन।
- स्थानीय शिल्प, उत्पाद, कला को संरक्षण प्रदान करना एवं उत्पादों की गुणवता, विपणन क्षमता में सुधार एवं निर्यात में वृद्धि करना।
- स्थानीय क्षमताओं का वर्धन कर जिलों में स्थानीय रोजगार को बढ़ाकर जिलों से प्रवास को रोकना।
- जिलों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करना।
- प्रमुख वनस्पति प्रजातियों का संरक्षण एवं इनके वैज्ञानिक व व्यावसायिक प्रयोगों को बढ़ावा देना।
- खेलों के विकास के माध्यम से स्वास्थ्य में सुधार, रोजगार तथा पहचान सृजित करना।

- ऐतिहासिक, धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थलों का संरक्षण करना एवं इन स्थलों पर वैशिष्ट्यक स्तर की आधारभूत सुविधाएं विकसित करना।
- सभी जिलों में समान विकास को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विषमताओं/असंतुलन को कम करना।

### **3. कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु शासकीय संरचना**

#### **अ. नोडल विभाग**

पंच गौरव कार्यक्रम हेतु नोडल विभाग आयोजना विभाग होगा। राज्य स्तर पर एक जिला—एक उपज के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, एक जिला—एक वनस्पति प्रजाति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एक जिला—एक उत्पाद के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एक जिला—एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग तथा एक जिला—एक खेल के लिए खेल एवं युवा मामलात् विभाग नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे।

पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा:—

क्र.सं	अधिकारी	पद
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी	सदस्य
4.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	सदस्य
5.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, खेल एवं युवा मामलात्	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, पर्यटन, कला एवं संस्कृति	सदस्य
7.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, सूचना एवं जन सम्पर्क	सदस्य
8.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित संयुक्त शासन सचिव स्तर के अधिकारी	सदस्य
9.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, आयोजना	सदस्य
10.	अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग	सदस्य
11.	निदेशक एवं संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी	सदस्य सचिव

## **राज्य स्तरीय समिति के कार्यः—**

1. पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु जिलों को मार्गदर्शन एवं क्रियान्वयन की समीक्षा।
  2. चिह्नित पंच गौरव की जिला कार्य योजना का अनुमोदन।
  3. चिह्नित पंच गौरव के संरक्षण एवं विकास हेतु जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का अनुमोदन।
  4. जिला स्तरीय समिति से प्रेषित कार्य योजना का विभिन्न विभागों के माध्यम से अथवा पृथक से आवश्यक बजट की संस्तुति करना।
- वर्ष में समिति की न्यूनतम 02 बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

### **ब. समन्वय**

प्रत्येक जिले में, जिला कलेक्टर इन 5 विभागों के साथ समन्वय बनाते हुए इस कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करायेंगे। जिले का स्थानीय प्रशासन और विकास अधिकारी कार्यक्रम के कार्यान्वयन और प्रमाणिकता के मूल्यांकन की जिम्मेदारी संभालेंगे। वे सुनिश्चित करेंगे कि सभी गतिविधियाँ निर्धारित मानदंडों के अनुरूप संचालित हों।

पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम के जिला स्तर पर प्रभावी संचालन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाएगा:—

क्र.सं	अधिकारी	पद
1.	जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
2.	जिला स्तरीय अधिकारी— उद्योग एवं वाणिज्य, कृषि एवं उद्यानिकी, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, खेल एवं युवा मामलात्, पर्यटन, कला एवं संस्कृति, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग	सदस्य
3.	जिला कलक्टर द्वारा नामित राजस्थान लेखा सेवा का अधिकारी	सदस्य
4.	संयुक्त/उप निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी जिला कार्यालय	सदस्य सचिव

जिला कलक्टर समिति की बैठक में आवश्यकतानुसार अन्य अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकेंगे।

## **जिला स्तरीय समिति के कार्यः—**

1. जिला स्तर पर चिह्नित पंच गौरव के संबंध में विवरणिका तैयार करना।
2. पंच गौरव प्रोत्साहन के लिए विभागीय समन्वय से जिला स्तरीय कार्य योजना एवं जिले में उपलब्ध बजट राशि में से विभिन्न कार्यों पर व्यय के प्रस्तावों का अनुमोदन।
3. कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु जिले की कार्यप्रगति का विश्लेषण एवं समीक्षा।
4. पंच गौरव प्रोत्साहन कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना तैयार करना।
5. पंच गौरव—जिला पुस्तिका तैयार करना।

समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी।

## **4. कार्यक्रम की प्रभावशीलता और सफलता सुनिश्चित करने के लिए मानदंड**

- क. **स्थानीय विशेषता:** प्रत्येक जिले की संस्कृति और स्थानीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए 'एक विशिष्ट कृषि उपज, वनस्पति प्रजाति, उत्पाद, पर्यटन स्थल और खेल' को चिह्नित किया जाएगा तथा यथा अनुरूप इनके प्रोत्साहन, संरक्षण एवं विकास हेतु गतिविधियां संपादित की जायेगी।
- ख. **समुदाय की भागीदारी:** कार्यक्रम के तहत स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाएगा ताकि वे अपने जिले की विशेषताओं को पहचान सकें और उन्हें बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा सकें।
- ग. **विकासात्मक दृष्टिकोण:** पंच—गौरव कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संरक्षण है, बल्कि यह आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में भी सहायक होगा।
- घ. **प्रशिक्षण और जानकारी:** युवाओं/स्थानीय लोगों को संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण और जानकारी प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकें।
- ड. **मॉनिटरिंग और मूल्यांकनः:**

- अ. कार्यक्रम के तहत विशेषज्ञों की समितियाँ गठित की जाएंगी, जो उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करेंगी। ये समितियाँ विभागीय अधिकारियों और उद्योग विशेषज्ञों से मिलकर बनी होंगी, जिससे कार्यक्रम की सफलता के लिए एक समग्र दृष्टिकोण मिलेगा।

- ब. मॉनिटरिंग तंत्र/सेल स्थापित किया जाएगा, जिसमें सभी संबंधित गतिविधियों की नियमित रिपोर्टिंग और फीडबैक शामिल होगा।
- स. स्थानीय समुदायों को भी मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, ताकि उनकी राय और अनुभवों को ध्यान में रखा जा सके। यह समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देगा।
- द. कार्यक्रम अन्तर्गत मुख्य रूप से आधारभूत संरचना (Infrastructure) एवं क्षमता संवर्द्धन (Capacity Building) संबंधी अनावर्तक (Non-Recurring) कार्य ही अनुमत होंगे। कार्यक्रम में विशेष आवश्यकता होने पर चयनित गतिविधियों/उत्पादों के विपणन एवं ब्रांडिंग के कार्य भी लिये जा सकेंगे।

## 5. अनुमत कार्य (केवल सूचक)

उपज एवं वनस्पति प्रजाति (Produce & Botanical Species) के विकास हेतु

क्र.स.	कार्य
1	संग्रहण, भंडारण, छंटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ड्राईंग, प्रसंस्करण सुविधाएं और कोल्ड सप्लाई चेन संरचनाओं का उन्नयन।
2	आबादी को बाजार से जोड़ने के लिए सड़कों, स्ट्रीट बिजली की व्यवस्था, रास्तों पर पेयजल, वॉशरूम, साइनेज, कूड़ेदान, पार्किंग के साथ-साथ मुख्य स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे आदि की व्यवस्था।
3	क्रेता—विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों आदि का आयोजन करके बाजार की उपलब्धता।
4	नई प्रौद्योगिकियों, उन्नत कृषि तकनीकों और नवीनतम Package of Practices के उपयोग से उपज और लाभ बढ़ाने के प्रयास (pilot) के साथ ही प्रशिक्षण देना।
5	उत्पादों के GI-tagging, brand building, product packaging, retail and online advertising के लिए सहायता और IEC, विशेषतः ODOP (One District One Product) कार्यक्रम के तहत चयनित उत्पादों के लिए।
6	स्थानीय किसान बाजारों, मेलों और त्योहारों में स्थानीय उपज की ब्रांडिंग और बिक्री के लिए प्रयास।
7	स्थानीय महिला स्वयं सहायता समूहों (WSHGs) का क्षमतावर्धन।
8	स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान चलाना।

## उत्पाद (Product) के विकास हेतु

क्र.सं.	कार्य
1	बाजार / मंडी में आवश्यक बुनियादी ढांचे, सङ्कें, बिजली, जल उपचार, सीवेज उपचार, अपशिष्ट उपचार, पाइप्स गैस आपूर्ति, गोदाम, लॉजिस्टिक्स, पावर बैंक अप, स्ट्रीट लाइटिंग, साइनेज, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे आदि का विकास।
2	प्रदर्शनी—सह—सम्मेलन केंद्रों, निर्यात घरों और निर्यात सुविधा केंद्रों की जानकारी की उपलब्धता और IEC।
3	पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय शिल्प और हस्तशिल्प क्लस्टर निर्माण।
4	राष्ट्रीय प्लेटफार्मों जैसे ONDC, GeM, इंडिया बिजनेस पोर्टल आदि पर शामिल होने के लिए MSMEs को प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करना।
5	खरीददार—विक्रेता बैठकों, व्यापार मेलों और राज्य/राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन।
6	डिजिटल बाजार संबंधों का विकास और डिजिटल मार्केटिंग।

## पर्यटन स्थल (Tourist Destination) के विकास हेतु

क्र.सं.	कार्य
1	पर्यटकों के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना— प्रमुख पर्यटक स्थलों पर अनिवार्य बुनियादी ढांचे का विकास, सङ्कक संपर्क में वृद्धि, सूचना केंद्र, पेयजल कियोस्क, शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, व्यक्तिगत लॉकर, साइनेज, कूड़ेदान, पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे आदि।
2	बस स्टैंड और बाजारों में पर्यटकों के लिए सेवाओं/सुविधाओं का उन्नयन।
3	प्रमुख पर्यटक स्थलों के आसपास थीम—आधारित अनुभवात्मक (स्वयं करने योग्य) गतिविधियों—खानपान, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि का विकास।
4	“एंकर डेस्टिनेशन” के आसपास वार्षिक कैलेंडरीकृत कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे मैराथन, संगीत या फिल्म समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि।
5	एनालॉग/डिजिटल IEC के माध्यम से राष्ट्रीय और वैश्विक मीडिया में अतुल्य राजस्थान को बढ़ावा देना।
6	जिले के प्रतिष्ठित स्थानों/स्मारक/पैनोरमा पर स्थानीय किंवदंतियों/विरासत पर आधारित एक भव्य ब्रॉडवे शैली सांस्कृतिक शो का आयोजन

## खेल (Games) के विकास हेतु

क्र.सं.	कार्य
1	जिले के स्टेडियम, ट्रेनिंग सेंटर, हॉस्टल आदि का उन्नयन।
2	खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्कूलों व कॉलेजों में खेलों का महत्व स्थापित करना।
3	जिले के चयनित खेल के अनुसार खिलाड़ियों के उचित प्रशिक्षण के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना।
4	आवश्यकतानुसार खिलाड़ियों को आवास और पोषण संबंधी सहायता के लिए उचित आवासीय सुविधाएं प्रदान करना।
5	खेलों से संबंधित आवश्यक जानकारी (सुविधाओं, आयोजनों, खिलाड़ियों को सहायता आदि) ऑनलाइन और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर उपलब्ध कराना।

## 6. गैर अनुमत कार्य

- वाहनों एवं कार्यालय के लिए फर्नीचर, उपकरणों आदि की खरीद जैसे व्यय।
- आवर्ती व्यय या भविष्य की देनदारियों को आमंत्रित करने वाले कार्य।
- व्यक्तिगत लाभ के कार्य।
- ऋण चुकाना, बकाया का निपटान, भूमि की खरीदारी, मुआवजे का भुगतान।
- आईटी सिस्टम, पोर्टल के विकास संबंधित कार्य।
- पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाली गतिविधियां।
- विज्ञापन व्यय।

## 7. बजट (Resource Envelope)

### अ. नोडल विभाग का बजट

राज्य स्तर पर एक जिला एक उपज के लिए कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति के लिए वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, एक जिला एक उत्पाद के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, एक जिला एक पर्यटन स्थल के लिए पर्यटन, कला एवं संस्कृति विभाग तथा एक जिला एक खेल के लिए खेल एवं युवा मामलात् विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य करेंगे। संबंधित नोडल विभाग पंच गौरव कार्यक्रम के तहत जिले के विशेष घटकों के कार्यान्वयन के लिए अपने स्वयं के बजट का उपयोग करेंगे।

### ब. अभिसरण (Convergence)

विभागों की योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से ही जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम की गतिविधियों का वित्त पोषण प्राथमिकता से किया जायेगा। जिला स्तर पर विभिन्न क्षेत्रों, योजनाओं और विभागों में उपलब्ध संसाधनों के अभिसरण से कार्य कराये जायेंगे। इसके अतिरिक्त MPLAD, MLALAD, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों (IFIs), गैर सरकारी संगठनों, CSR फाउंडेशन, उद्योग संघों का सहयोग राजस्थान के जिलों में पंच गौरव कार्यक्रम के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करेंगे।

### स. वित्त व्यवस्था

पंच गौरव कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक जिले को प्रति वर्ष अधिकतम राशि रूपये 5.00 करोड़ उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि का यथा संभव उपयोग पांचों चिह्नित गौरवों के लिए किये जाने के प्रयास किया जाना अपेक्षित है।

## 8. जिलेवार चिह्नित पंच गौरव की सूची

क्र.सं.	संभाग	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
1.	अजमेर	अजमेर	गुलाब	नीम	ग्रेनाइट एवं मार्बल के उत्पाद	पुष्कर तीर्थ	कबड्डी
2.		ब्यावर	गेंहू	करंज का पेड	क्वार्ट्ज एवं फेल्ड्स्पार पाउडर	टोडगढ़	हॉकी
3.		भीलवाड़ा	संतरा	अर्जुन	टेक्स्टाइल उत्पाद	माण्डलगढ़ किला	बास्केटबाल
4.		डीडवाना-कुचामन	च्याज	खेजड़ी	मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद	डीडवाना झील	बास्केटबाल
5.		नागौर	मूँग	खेजड़ी	पान मैथी एवं मसाला प्रसंस्करण	मीराबाई स्मारक	कबड्डी
6.		टोंक	सरसों	अमलतास	स्लेट स्टोन के उत्पाद	डिग्गी कल्याण जी	एथलेटिक्स
7.	भरतपुर	भरतपुर	शहद	कदम्ब	कृषि आधारित उत्पाद	केवलादेव नेशनल पार्क	कुश्ती
8.		डीग	सरसों	अर्जुन	स्टोन आधारित उत्पाद	डीग महल	कुश्ती
9.		धौलपुर	आलू	करंज	स्टोन आधारित उत्पाद	मचकुण्ड	हॉकी
10.		करौली	तिल	बरगद	सेण्ड स्टोन के उत्पाद	कैलादेवी मंदिर	क्रिकेट
11.		सवाईमाधोपुर	अमरुद	नीम	मार्बल के उत्पाद	रणथम्भौर नेशनल पार्क	फुटबॉल
12.	बीकानेर	बीकानेर	मोठ	रोहिङ्गा	बीकानेरी नमकीन	करणी माता मंदिर	तीरंदाजी
13.		चूरू	ग्वारपाठा	खेजड़ी	लकड़ी के उत्पाद	सालासर बालाजी मंदिर	एथलेटिक्स
14.		हनुमानगढ़	किन्नू	शीशम	कृषि आधारित उत्पाद	गोगामेड़ी मंदिर	हॉकी
15.		श्रीगंगानगर	किन्नू	शीशम	सरसों तेल	बूढ़ा जोहड़	एथलेटिक्स

क्र.सं.	संभाग	जिला	उपज	वनस्पति प्रजाति	उत्पाद	पर्यटन स्थल	खेल
16.	जयपुर	अलवर	प्याज	अर्जुन	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	सरिस्का टाईगर रिजर्व	कुश्ती
17.		दौसा	सौंफ	ढाक	पत्थर के उत्पाद	मेहंदीपुर बालाजी मंदिर	फुटबॉल
18.		जयपुर	आंवला	लिसोड़ा	रन्नाभूषण	आमेर दुर्ग	कबड्डी
19.		झुन्झुनू	सरसों	नीम	लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद	लोहार्गल	बास्केटबॉल
20.		खैरथल—तिजारा	प्याज	शीशम	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	तिजारा जैन मंदिर	कुश्ती
21.		कोटपूतली—बहरोड	गाजर	गूगल	ऑटोमोबाइल पार्ट्स	बैराठ	कुश्ती
22.		सीकर	प्याज	अरडू	लकड़ी के फर्नीचर	खाटूशयाम जी मंदिर	बास्केटबॉल
23.	जोधपुर	बाडमेर	ईसबगोल	रोहिडा	कशीदाकारी	किराडू मंदिर	बास्केटबॉल
24.		बालोतरा	अनार	रोहिडा	टैक्सटाइल उत्पाद	नाकोड़ा जैन मंदिर	क्रिकेट
25.		जैसलमेर	खजूर	जाल	येलो स्टोन के उत्पाद	जैसलमेर दुर्ग	जिमनास्टिक
26.		जालौर	अनार	जाल	ग्रेनाईट के उत्पाद	सुँधा माता मंदिर	बॉक्सिंग
27.		जोधपुर	जीरा	जाल	लकड़ी के फर्नीचर	मेहरानगढ़ दुर्ग	जिमनास्टिक
28.		पाली	मेंहदी	नीम	टेक्सटाइल के उत्पाद	रणकपुर जैन मंदिर	बास्केटबॉल
29.		फलौदी	जीरा	जाल	सोनामुखी के उत्पाद	खींचन	एथलेटिक्स
30.		सिरोही	सौंफ	महुआ	मार्बल के उत्पाद	देलवाड़ा मंदिर	तीरंदाजी
31.	कोटा	बारां	लहसुन	चिरोंजी	गार्लिंग प्रोडक्ट	रामगढ़ क्रेटर	फुटबॉल
32.		बून्दी	चावल	धोक	सेन्ड स्टोन	रामगढ़ विष्धारी सेन्चुरी	कबड्डी
33.		झालावाड़	संतरा	सागवान	कोटा स्टोन के उत्पाद	गागरोन दुर्ग	बास्केटबॉल
34.		कोटा	धनिया	खैर	कोटा डोरिया	चम्बल रिवर फ्रंट	कुश्ती
35.	उदयपुर	बांसवाड़ा	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	त्रिपुरा सुंदरी मंदिर	तीरंदाजी
36.		चित्तौड़गढ़	सीताफल	बिल्व पत्र	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	चित्तौड़गढ़ दुर्ग	कबड्डी
37.		झूंगरपुर	आम	सागवान	मार्बल के उत्पाद	बेणेश्वर धाम	हॉकी
38.		प्रतापगढ़	कलोंजी	तेंदू	थेवा आभूषण	सीतामाता वन्यजीव अभ्यारण	तीरंदाजी
39.		राजसमन्द	सीताफल	नीम	ग्रेनाईट एवं मार्बल के उत्पाद	कुम्भलगढ़	हॉकी
40.		सलूम्बर	मक्का	पलास	क्वार्ट्ज	जयसमंद झील	कबड्डी
41.		उदयपुर	सीताफल	महुआ	मार्बल एवं ग्रेनाईट के उत्पाद	फतेहसागर एवं पिछोला झील	तैराकी